07/01/26

उभय पक्ष उप०। बहस सुनी गई। वाद वादी मौखिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। प्रारम्भिक डिक्री पारित हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा प्रारूप प्रस्तुत करने पर पेशी में ली जावे। रजिस्टर से कम हो।

आदेश लिखाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2019/00221

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

बैसाखा सिंह बनाम हरगोविन्द सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा:–53 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–139/2019 (2019/00221)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2026		

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 12 की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 18 एल.जी.डब्ल्यु.–ए की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 खाता संख्या 46 की 4.263 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि व चक 30 एम0ओ0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 98 की 7.590 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि दर्ज रिकार्ड है। उपर्युक्त भूमि दोनों चको में स्थित है। दोनों चकों में वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज है। सभी काश्तकार मौका पर अलग–अलग काबिज है। वादी का सम्पूर्ण कब्जा चक 30 एम0ओ0डी0 में वाद की मद संख्या 3 अनुसार है। रकबा संयुक्त खाता का होने के कारण राजकीय कार्य संबंधी कठिनाईयों उत्पन्न हो रही है। इसलिये वाद वादी स्वीकार किया जावे। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी सं0 4 ता 7, 12 की तरफ से अधिवक्ता श्री हरीसिंह भाटी उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0 8 के विरूद्ध दिनांक 24.12.2019 को बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। दिनांक 08.02.2024 को प्रतिवादीगण विधिवत तामील के पश्चात उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी सं0 1 से 3, 9 से 11, 13 से 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर तनकी कायम नहीं की गई। साक्ष्य वादी में वादी ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियो को प्रदर्श कराया। प्रतिवादी संख्या 12 ने साक्ष्य प्रतिवादी में उपस्थित होकर शपथ प्रस्तुत कर वाद पत्र को स्वीकार करने में सहमति प्रस्तुत की। बहस सुनी गई।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष अनुसार डिक्री पारित करने का निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया एवं वाद पत्र का अध्ययन किया। वाद पत्र में वादी ने अपने कब्जा का विवरण अंकित किया है। लेकिन प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने से सभी पक्षकारो के कब्जा का विवरण स्पष्ट नहीं होता है एवं वर्तमान जमाबंदी मे स्थिति परिवर्तन होना सम्भव है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि चक 18 एल.जी.डब्ल्यु.–ए की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 खाता संख्या 46 की 4.263 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि व चक 30 एम0ओ0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 98 की 7.590 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 12 के मध्य विभाजन जमाबन्दी में अंकित हिस्सा एवं मौका पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता [illegible] सूरतगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 1000/– एक हजार [illegible] द्वारा दी जावेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ विभाजन [illegible] हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार [illegible] जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री [illegible] दफ्तर हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:18 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

—:: प्राथमिक परचा डिक्री ::—

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी :—भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

—:: अनवान ::—

1. बैसाखासिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—वादी

बनाम

1. हरगोविन्दसिंह पुत्र बलवीरसिंह
2. जसकरणसिंह पुत्र मेजरसिंह
3. बलकरणसिंह पुत्र जगदेवसिंह
4. जसकरणसिंह पुत्र कौरसिंह
5. कुलविन्द्रसिंह पुत्र कौरसिंह
6. भोलासिंह पुत्र सरदूलसिंह
7. गुरमेलसिंह पुत्र सरदूलसिंह

(1 से 7) जाति जटखि निवासी 17 एल.जी.डब्ल्यु. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

8. गुरदीपकौर पत्नी कश्मीरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़।
9. गुरनामसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़।
10. गुरप्रीतकौर पत्नी शिवजन्टसिंह
11. बलराजसिंह पुत्र शिवजन्टसिंह

(10, 11) जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तह0 सूरतगढ़ राज0।

12. कुलविन्द्रसिंह पुत्र हरवंशसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ़।
13. शाखा प्रबंधक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ए.डी.बी. शाखा हनुमानगढ।
14. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा लिखमीसर।
15. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा पीलीबंगा।
16. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा गुरूसर मोडिया।
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

—प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र धारा—53 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 139 वर्ष 2019 (GCMS No. 2019/00221) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री अजय कुमार अरोड़ा तथा वकील प्रतिवादी संख्या 4 ता 7, 12 श्री हरिसिंह भाटी व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:—

वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि चक 18 एल.जी.डब्ल्यु.—ए की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 खाता संख्या 46 की 4.263 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि व चक 30 एम0ओ0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 98 की 7.590 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या—1 ता 12 के मध्य विभाजन जमाबन्दी में अंकित हिस्सा एवं मौका पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर तहसीलदार सूरतगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 1000/— एक [illegible] मात्र वादीगण द्वारा दी जावेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में अंकित हिस्सा [illegible] मौका पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार कर 15 दिवस में नक्शा एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें।

नोज......x......मुबलिग...... x......बाबत [illegible] बशरह...... x...... फस्दों की पालना......x.....आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक [illegible] करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.01.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:18 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)